आज का विचार

लोग स्वतः कानून की पालना करते अनुशासित नहीं रहते इसीलिए तो कानून बनाने की जरूरत पड़ती ताकि दण्डात्मक प्रावधानों के भय से कानून की पालना सुनिश्चित हो सके।
(शिवकुमार त्रिवेदी चिंतन सरिता)

दैनिक लोकजीवन

ट्रेफिक अपराधों पर कम जुर्माना.

राजस्थान, मध्यप्रदेश, पं.बंगाल सरकारों द्वारा संशोधित मोर व्हीकल एक्ट संशोधन के प्रावधानों को लागू करने में आनाकानी के बदा केन्द्र ने स्पष्ट कर दिया कि कानून बनने के बाद पहली सितम्बर से पूरे देश में लागू हो गया है और राज्स सरकारों को कम्पाउण्डिंग के अलावा करें फेर बदल करने जैसा कोई अवसर नहीं है। हालाकि प्रदेश की सरकार ने तर्क दिया था कि यदि संशोधित कानून लागू किया तो पुलिस में भ्रष्टाचार बढ़ जायेगा। जिनता अधिक जुर्माना होगा इसका भय जनता में कितना होगा यह अलग बात है। लेकिन पकड़े जाने पर पुलिस के पास दोनों अधिकार तो रहेंगे ही कि या तो पूरा जुर्माना वसूल कर कानून की पालना करें या फिर कानून को ताक में रखकर जुर्माने के बजाय कम धन राशि लेकर खुद की जेब में रखे और वाहन धारक को रवाना करें। प्रदेश के परिवहन मंत्री ने कहा था कि प्रावधानों की समीक्षा के बाद ही कोई निर्णय लिया जायेगा। चूंकि केन्द्र सरकार ने सकड़ दुर्घटनाओं में मरने वालों की औसल संख्या व दुर्घटना के कारणों का अध्ययन करने के उपरान्त ही यह आवश्यकता महसूस की कि कानून में संशोधन करके सजा व जुर्माने के प्रावधानों को अधिक कठोर बनाया जाय ताकि सजा व जुर्माने के भय से चालक स्वयं को अनुसासित रख सके साथ ही दुर्घटनाओं में भी कमी आये।

अधिनियम में राज्य के क्षेत्राधिकार वाले 33 में से 17 ट्रेफिक अपराधों में शुरू में कम जुर्माना राशि वसूल की जायेगी जबकि शेष गंभीर प्रवृति के 16 मामलों में अधिनियम में वर्णित जुर्माना राशि ही वसूली जायेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि शुरूआत में व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए कम कम्पाउण्डिंग फीस रखी गई है। यदि सड़क दुर्घटनाओं में कमी नहीं आई और संशोधन के उद्देश्य पूरे नहीं हुए तो कम्पाउण्डिंग फीस को मूल अधिनियम के अनुरूप अधिकतम सीमा तक बढ़ाया जा सकता है। परिवहन मंत्री प्रतापसिंह ने कहा कि हमारा मानना हैं कि जुर्माना बढ़ाकर यातायात नियमों की पालना नहीं कराई जा सकती। ड्रिंक ड्राइविंग और ओवर स्पीड के जुर्माने में कोई कमी नहीं होगी। टोल कम्पनियों पर सख्ती बरतने की जरूरत है जनता को यातायात नियमों के बारे में जागरूक कर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जायेगी। आज आवश्यकता इस बात की है कि नियम की पालना या जुर्माना राशि के बजाय सुरक्षा एवं शिक्षण पर ध्यान दिया जाय ताकि दुर्घटनाओं में कमी आ सके।

कड़वी घूंट -सूरज

जुर्माना 23 हजार ...!!

कानून बनाना सरकार का काम है। लेकिन उसे लागू करना पुलिस-प्रशासन और पालना करना जनता का काम है। कानून बनाने वाले अलग-अलग पहलुओं पर गौर करते हुए दण्ड एवं जुर्माने का निर्धारण करते हैं। जिस अपराध को जितना गंभीर या खतरनाक माना जाता है उस अनुरूप ही सजा या सजा एवं जुर्माने का प्रावधान किया जाता है ताकि चूक करने से पहले यह जरूर जान लें कि यदि कानून तोड़ा तो किन हालातों से गुजरना पड़ेगा। विपरित इसके कानून तोड़ने वाले को तो पता ही नहीं रहता कि कौन कौन से नियम तोड़ दिये। जबकि पुलिस को महारथ हासिल है कि एक के बाद एक नियमों को तोड़ने की श्रृंखला ही बना दें। जितने नियम टूटेंगे उतना ही जुर्माना भी बढ़ता जायेगा। तब तक बढ़ता ही रहेगा जब तक अति न हो जाय। इस क्रम में देश में यातायात के पहली सितम्बर से लागू नये नियम के तहत गुरूग्राम में स्कूटी चालक का नियमों के उल्लंघन पर 23 हजार का चालान कट गया। भले ही स्कूटी की कीमत ही 15 हजार रूम में है न लाईसेंस, न आरअसी न पर्यावरण प्रमाण पत्र न हेलमेट तो सभी बिन्दुओं पर लगी जुर्माना राशि का योग 23 हजार पहुंच गय। अब यह आप जानों कि पुलिस की मेहरबानी पर ही निर्भर हैं कि कितने नियमों का उल्लंघन हो या कितना जुर्माना वसूला जाय उन्हें तो सभी कानून पता है।

सफलता और असफलता मे मात्र 1 इंच का फर्क - कटारिया

लोकजीवन न्यूज सर्विस, भीलवाड़ा

विधानसभा नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया पुर मे पहुंचे पुर में विभिन्न मकानों में आई दरारें एवं जर्जर हो चुके भवन को स्वयं अपनी आंखों से देखा और आश्चर्यचकित होकर कहां की इन मकानो मे व्यक्ति कैसे रह सकता है कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है जन हानि हो सकती है वहां बारिश में भीगते हुए इन मकानों को देखा इसके बाद दोपहर 3 बजे कलेक्ट्री के सामने धरना स्थल पर पहुंचे वहां पर संबोधित करते हुए पूर्व गृहमंत्री नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि जब तक पुर वासियों की समस्या का हल पूर्ण रूप से नहीं हो जाता और 4100 मकानों का मुआवजा नहीं मिल जाता तब तक संघर्ष का झंडा गढ़ा रहेगा हारता वो है जो झूठ के सहारे खड़ा है जो इमानदारी की लड़ाई लड़ता है उसको भगवान भी नहीं हरा सकता और जो जनता की लड़ाई लड़ता है सफलता निश्चित रूप से मिलती है कई सालों से पूर मे लोग निवास कर रहे हैं और जिंदल आने से पहले कभी कोई शिकायत प्रशासन के पास नहीं आई कि मकानों में दरारें हैं मकान जर्जर हो रहे हैं क्या कारण है जिंदल आने के बाद लगातार मकानों में दरारे आ रही है मकान कभी भी गिर सकते हैं ऐसी जर्जर अवस्था है इसका एकमात्र कारण जिंदल की ब्लास्टिंग है हमारी पार्टी संघर्ष करने वाली पार्टी है हम समस्या का हल करके रहेंगे और इस जिंदल मुद्दे पर विधायक शंकर अवस्थी ने पुर वासियों की समस्याओं को लेकर विधानसभा में कई बार सवाल जवाब किए और अब मजबूर होकर इनको धरने पर बैठना पड़ रहा है मैं इनका समर्थन करता हूं और जरूरत पड़े तो धरने पर बैठने के लिए में भी तैयार हूं लेकिन संघर्ष जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक लगातार जारी रहेगा इस अवसर पर विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी ने कहा कि जिंदल के कारण पुर में लगातार मकानों में दरारें आ रही थी मकान जर्जर हो रहे थे इस हेतु एक संघर्ष समिति 6 माह पूर्व बनी और उस समिति के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मेरे पास आए और कहा कि हमें न्याय दिलाएं इस हेतु मैंने संघर्ष कर विभिन्न छोटी-मोटी समस्याओं का समाधान त्वरित किया और लगातार प्रशासन एवं राज्य सरकार के संपर्क में रहा लेकिन मकानों की समस्या का हल नहीं होने पर मैंने धरने पर बैठने का निर्णय लिया इस निर्णय से कांग्रेस के स्थानीय नेताओं एवं जिंदल के अधिकारी ने सांठगांठ कर आंदोलन को फेल करने हेतु संघर्ष समिति के पदाधिकारियों को बरगलाना शुरू कर दिया और मेरे साथ जो धरना स्थल पर धक्का-मुक्की की बात हुई सरासर गलत है जब तक 4100 मकानों का मुआवजा नहीं मिल जाता तब तक संघर्ष जारी रहेगा धरना जारी रहेगा इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष लक्ष्मीनारायण डाड ने कहा कि पुर की समस्या बहुत ही गंभीर है और इस विषय पर पूरा भाजपा संगठन कंधे से कंधा मिलाकर लगातार संघर्ष में सम्मिलित रहेगा जनता की लड़ाई जारी रहेगी जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक धरना जारी रहेगा इसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाएं यह जनता की लड़ाई है धरना स्थल पर मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल, आसींद विधायक जबर सिंह सांखला, जिला महामंत्री राकेश पाठक लादू लाल तेली, डॉ. राजा साधु वैष्णव, भाजपा जिला प्रवक्ता कैलाश सोनी, उपसभापति मुकेश शर्मा, छैल बिहारी जोशी, शहर मंडल अध्यक्ष किशोर सोनी, अनिल जैन, अनिल सिंह जादौन, नंदकिशोर राजपुरोहित युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अनमोल पाराशर सहित पदाधिकारी जनप्रतिनिधि कार्यकर्ता उपस्थित थे।

रामद्वारा में छप्पनभोग की झांकी बनी आकर्षण का केन्द

भीलवाड़ा। अन्तर्राष्ट्रीय रामस्नेही सम्प्रदाय के संस्थापक रामचरण जी महाराज के दीक्षा दिवस पर गुरूवार को माणिक्यनगर रोड स्थित रामद्वारा में छप्पन भोग का आयोजन किया गया। रामस्वरूप पलोड़ ने बताया कि इस मौके पर विभा पोरवाल, प्रेमलता तोषनीवाल, गीता मालानी, सहित कईं महिलाओं ने भजन पेश किये। संत कृपाराम ने रामकिशन महाराज को गुरू मंत्र दिया। अंत में सामूहिक आरती के पश्चात छप्पन भोग का प्रसाद वितरित किया।

मिया मुशाजी (रजि.) हर समस्या का समाधान, नौकरी, कारोबार, गृहक्लेश, पति-पत्नी में अनबन, प्रेमविवाह, संतानदुःख, सौतन, दुश्मन छुटकारा कर्जमुक्ति, कोर्टकेस, प्यार में धोखा खाये एक बार अवश्य मिलें- भीलवाड़ा, बड़ला चौराहा, जम-जम रेस्टोरेंट के पास
भीलवाड़ा : 77421-43969, 96947-97492

पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके में अब तक 23 लोगों की मौत

बटाला। पंजाब में गुरदासपुर जिले के बटाला में बुधवार को एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होने से कम से कम 23 लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि गुरदासपुर जिले के बटाला शहर में फैक्ट्री की इमारत के मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है और बचाव अभियान जारी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। पुलिस महानिरीक्षक (बॉर्डर रेंज) एसपीएस परमार ने बताया कि शाम करीब चार बजे रिहायशी क्षेत्र में स्थित पटाखा कारखाने में विस्फोट हुआ। बटाला के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी संजीव भल्ला ने बताया कि विस्फोट में 23 लोगों की मौत हुई है। विस्फोट इतना भीषण था कि आसपास की कुछ इमारतें भी नष्ट हो गईं। कुछ वाहन भी नष्ट हो गए और धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट किया,''पंजाब के बटाला में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से जान माल को हुए नुकसान के बारे में जान कर दुखी हूं।'' कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी घटना पर शोक व्यक्त किया और उन्होंने ट्वीट कर कहा, पंजाब के बटाला में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में कई लोगों की मौत से आहत हूं। मृतकों के परिवारों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने घटना में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया है।

रंजन पोलिस्टर्स लिमिटेड

कॉरपोरेट आइडेंटिटी नंबर (सीआईएन): L24302RJ1990PLC005560
पंजीकृत कार्यालय: 11-12TH, की. मी. स्टोन, चित्तौड़गढ़ रोड, गुवारड़ी, भीलवाड़ा -311001(राजस्थान), इंडिया,
वेबसाइट:- www.ranjanpolysters.com, फोन: 01482-320925,26,27,249095, ई-मेल: ranjanpoly@gmail.com

29वीं वार्षिक साधारण सभा रिमोट ई-वोटिंग तथा बुक क्लोजर की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी की 29 वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) सोमवार, 30 सितम्बर, 2019 को दोपहर 4 बजे, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय 11-12 TH किमी. स्टोन, चित्तौड़गढ़ रोड, गुवारड़ी, भीलवाड़ा-311001 (राजस्थान) में आयोजित होना निश्चित की गई है। वार्षिक साधारण सभा की सूचना एवं ई-वोटिंग से संबंधित विस्तृत निर्देश व जानकारी के साथ ही वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु वार्षिक रिपोर्ट उन सभी सदस्यों को जिनका ई-मेल पता कंपनी के साथ पंजीकृत है, ई-मेल द्वारा एवं सभी अन्य सदस्यों को उनके पंजीकृत पते पर अनुमत माध्यम से प्रेषित की जा चुकी है। वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम का नोटिस ई-मेल अथवा भौतिक प्रतिलिपि 4 सितम्बर, 2019 तक प्रेषित कर चुके हैं। जिन सदस्यों को एजीएम की सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई हो, वे कंपनी की वेबसाइट www.ranjanpolysters.com से डाउनलोड कर सकते है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 एवं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं नियमावली, 2015 की नियमावली 44 के अनुपालन में, सेंट्रल डिपाजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के मंच के द्वारा कंपनी की 29वीं वार्षिक साधारण सभा के नोटिस में वर्णित सभी व्यापारिक लेनदेन के लिए इलेक्ट्रोनिक वोटिंग की सुविधा प्रदान की गई है। सदस्य, आयोजन स्थल के अलावा किसी अन्य जगह (रिमोट ई-वोटिंग) से इलेक्ट्रोनिक मतदान प्रणाली का उपयोग करके वोट दे सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग सुविधा शुक्रवार 27 सितम्बर, 2019 प्रातः 9 बजे शुरू होगी तथा रविवार, 29 सितम्बर, 2019 सायं 5.00 बजे समाप्त होगी। इस समय ओर दिनांक के अलावा कोई ई-वोटिंग स्वीकार नहीं की जाएगी। जिन व्यक्तियों का नाम अंतिम तारीख 23 सितम्बर, 2019 को सदस्यों अथवा लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में है, केवल वहीं रिमोट ई-वोटिंग सुविधा के साथ वोटिंग सुविधा को अधिकृत कर सकते हैं। सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा वोट दिया है वे भी सभा में सम्मिलित हो सकते हैं लेकिन वापस सभा में वोट देने का अधिकार नहीं है। सूचना के प्रेषण के बाद वे व्यक्ति जिनके पास कंपनी के शेयर एवं सदस्य है उन्हें रिमोट ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी तथा पासवर्ड कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, मैसर्स बीटल फाइनेंसियल और कम्प्यूटर सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड 'बीटल हाउस' तीसरी मंजिल, 99 मदनगीर, बीएच - लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, दादा हरसुखदास मंदिर के समीप, न्यू दिल्ली-110062 द्वारा प्राप्त होंगे। यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया भी सीडीएसएल की वेबसाइट www.cdslindia.com पर उपलब्ध है। वार्षिक साधारण सभा में मत पत्र द्वारा मतदान उन सदस्यों को उपलब्ध है जो इस सभा में सम्मिलित हैं तथा जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान नहीं दिया है। ई-वोटिंग के परिणाम कंपनी के वार्षिक साधारण सभा में अथवा बाद में घोषित किया जाएगा। सदस्यों की सूचना के लिए संवीक्षक रिपोर्ट के साथ परिणाम कंपनी की वेबसाइट तथा सीडीएसएल की वेबसाइट को सूचित किया जाएगा। ई-वोटिंग से संबंधित कोई प्रश्न अथवा मामलों को www.evotingindia.com के सहायता अनुभाग के पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) तथा ई-वोटिंग मार्गदर्शक अथवा ई-मेल helpdesk.evoting@cdslindia.com पर लिख कर भेज सकते हैं। हेल्पडेस्क के टोल फ्री नम्बर 1800-200-5533 द्वारा भी सम्पर्क किया जा सकता है। कृपया इलेक्ट्रोनिक माध्यम के द्वारा मतदान की सुविधा से जुड़ी किसी भी शिकायत के मामले में मि. वेन्सेस्लास फुर्टाडो, उप अधीक्षक, सीडीएसएल, 17वीं मंजिल फिरोज जीजीभोए टॉवर, दलाल स्ट्रीट, मुम्बई-400001 से सम्पर्क करें। आगे की सूचना एतद् द्वारा दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) नियमावली, 2015 की नियमावली 42 के अनुसार कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक्स मंगलवार, 24, सितम्बर, 2019 से रविवार 30, सितम्बर, 2019 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगे।

दिनांक: 4 सितंबर, 2019
स्थान: भीलवाड़ा
DIN-00131930

बोर्ड की आज्ञानुसार
Sd/-
(महेश कुमार भीमसरिया)
प्रबंधसंचालक